

4.01.2025:-पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। उभयपक्ष अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रवाली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वाचपत्र मे कोई आपत्तिका कार्यवाही नहीं की जा रही है। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को लगातार अवरुद्ध दिये जाने के उपरान्त अनुपस्थित है। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रवाली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
सुप्रीम कलेक्टर  
एव उपाधीक्षक  
हनुमानगढ

